9500 रुपए सिंगलयूज प्लास्टिक रखने एवं नाली में गोबर बहाने वाले खटाल संचालक पर की गई चालानी कार्यवाही

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन क्रमांक 01 अंतर्गत सिंगलयूज प्लास्टिक रखने एवं गंदगी फैलाने वाले व्यवसायियों पर चालानी कार्यवाही की गई। वार्ड क्रं. 02 स्मृति नगर में जुनवानी चौंक में विभिन्न व्यवसासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक एवं व्यवसाय परिसर, फल ठेला में गंदगी पाए जाने एवं गीला एवं सूखा कचरा अलग नहीं पाए जाने वाले व्यापारी पृथ्वी जूस सेंटर 400, गोलू फल सेंटर 200, विश्वकर्ता फल सेंटर 100, ब्यूटी टी स्टाल 300, दूबे डेयरी 800, डिजत टू होटल 200, वंश डेली नीडस 500, अंबिका ट्रेडर्स 500, द भिलाई टाउन 500, सोनू फल ठेला 100 एवं शर्मा पूजा सामग्री 1500 से इस प्रकार कुल 5100 रूपये चलानी कार्यवाही करते हुए वसूल किये गये। साथ ही जोन क्रमांक 02 अंतर्गत वार्ड क्रं. 16 ठेठवार पारा में खटाल वालो के द्वारा नाली में गोबर बहाने पर चार लोगो से 4000 रूपये दाण्डिक शुल्क वसूला गया। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी अभी यह सांकेतिक है चालानी कार्रवाई बढ़ते क्रम में होगी इसकी पूरी जिम्मेदारी जो लोग नगर निगम के समझाइए इसको नहीं मान रहे हैं उन्हीं के खिलाफ होगा. आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियो को निर्देश दिए है कि जो भी व्यापारी सिंगलयूज प्लास्टिक में खादय सामग्री विक्रय कर रहे है या व्यवसाय परिसर, फल ठेला के आस–पास गंदगी फैला रहे है या फिर गीला एवं सूखा कचरे को अलग–अलग डस्ट बिन में नही डाल रहे है। उनके पास जाकर कार्यवाही कर उनसे चालानी कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्हे समझाया जाए कि सिंगलयूज प्लास्टिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। शहर की साफ–सफाई में जो व्यापारी सहयोग नही कर रहे है। उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही कर उन्हे समझाईस दी जाए कि अगले बार से गंदगी न फैलाये नहीं तो निगम कचरा साफ नहीं करेगा उसी कचरे में आपको व्यापार करना पड़ेगा। कार्यवाही के दौरान जॉन के स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा, अंकित सक्सेना, स्वच्छता सुपरवाइजर कमलेश द्विवेदी, अंजनी सिंह, इनाम सिंह कन्नौज, संतोष हरमुख, उनके दल के सदस्य उपस्थित रहे।